

हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग हि.प्र.।

संख्या पीसीएच-एचए(5)(सी)(15)313/89-IV- ³⁷⁶²²⁻⁷¹⁵ शिमला-9 दिनांक 15 जून, 2020

कार्यालय आदेश

हि0 प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम,2002 के परिशिष्ट-‘घ’ (4) के अंतर्गत भवन को तोड़ने,उसके विक्रय या उसकी सामग्री को बट्टे खाते डालने की प्रक्रिया से पूर्व भवन को असुरक्षित घोषित करने के लिए खण्ड स्तर पर कमेटी का गठन निम्न प्रकार से किया जाता है।

1. सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी (अध्यक्ष)
2. सम्बन्धित सहायक अभियंता (सदस्य)
3. सम्बन्धित कनिष्ठ अभियंता (सदस्य)

उक्त कमेटी भवन को तोड़ने से पूर्व उसे असुरक्षित घोषित करने के लिए सक्षम होगी तथा इस तरह के मामलों में हि0प्र0पं0रा0 (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भते) नियम,2002 के समस्त प्रावधान पूर्ववत ही लागू रहेंगे।


आदेश द्वारा

(ललित जैन)

निदेशक एवं विशेष सचिव,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।

पृष्ठांकन संख्या पीसीएच-एचए(5)(सी)(15)313/89-IV ³⁷⁶²²⁻⁷¹⁵ शिमला-9 दिनांक 15 जून, 2020

1. समस्त जिला पंचायत अधिकारी हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
2. समस्त खण्ड विकास अधिकारी, हि0प्र0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
3. श्री भूपेन्द्र शर्मा, कम्प्युटर प्रोग्रामर प0रा0प्र0सं0 मशोबरा को इस आशय सहित कि वह उक्त आदेश की प्रति को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करें।
4. गार्ड पत्रावली हेतु।


अतिरिक्त निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश।